AGP

(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'A' Departmental Confirmation Committee consisting of :-** (i) Director General of Civil Aviation – Chairman; (ii) Joint Director General of Civil Aviation (Administration) – Member; (iii) Joint Director General of Civil Aviation (concerned) – Member; (iv) Deputy Secretary, Ministry of Civil Aviation - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.

[F. No. A-12018/03/2015 – R.Cell]

SUNIL KUMAR ADLAKHA, Dy. Director (Admn.)

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 365.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड सहायक भूभौतिकीविद, भर्ती नियम, 1995 का और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड सहायक भूभौतिकीविद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड सहायक भूभौतिकीविद, भर्ती नियम, 1995

(जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त नियम कहा जाएगा) के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे"।

3. **उक्त नियमों की अनुसूची में:**

(क) स्तम्भ (4) में स्तम्भ शीर्ष और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तम्भ शीर्ष और प्रविष्टियाँ रखी जाएगी अर्थात:

वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-8 वेतन मैट्रिक्स में 47600 रु.

(ख) स्तम्भ (11),-

(i) "प्रोन्नति" शीर्ष के अधीन, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात:- "ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (भूभौतिकीविद) जिसने दो वर्ष की नियमित सेवा उस श्रेणी में की हो और राष्ट्रीय भूमिगत जल अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर से न्यूनतम चार सप्ताह की प्रवेश स्तर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । "

(ii) "प्रतिनियुक्ति" शीर्ष के अधीन मद(क) में, उपमद(ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपमद रखा जाएगा , अर्थात :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रु.44900) के पदों पर दो वर्ष नियमित सेवा सहित; ।"

[फा.सं. ए. 31012/3/2017- सीजीडब्ल्यूबी]

आर. एन. दीक्षित, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II खंड 3 उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 387 तारीख 19 अगस्त, 1995 द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना सा.का.नि. 449 तारीख 18 अगस्त, 2001 द्वारा किए गए ।

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 24th October, 2017

G.S.R.365.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Ground Water Board Assistant Geophysicist Recruitment Rules, 1995, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Ground Water Board Assistant Geophysicist Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Ground Water Board Assistant Geophysicist Recruitment Rules, 1995 (herein after referred to as the said rules), for rules 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"**2. Number of post, classification and level in pay matrix.**– The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.".

3. In the said rules, in the Schedule,-

(a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

"Level in pay matrix
(4)
Level 8 (Rs.47,600) in the pay matrix.";

(b) in column (11),-

(i) under heading "Promotion", for the entry, the following entry shall be substituted, namely:- "Senior Technical Assistant (Geophysicist) with two years regular service in the grade and have successfully completed minimum four weeks induction level training from the National Ground Water Research and Training Institute, Raipur.";

(ii) under the heading "Deputation", in item (a), for sub-item (ii), the following sub-item shall be substituted, namely:-

"with two years regular service in posts in level-7 (Rs.44900) in the pay matrix;".

[F.No. A. 31012/3/2017-CGWB]

R.N. DIXIT, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section(i) vide notification number GSR 387, dated the 19th August, 1995 and subsequently amended vide notification number GSR 449, dated the 18th August, 2001.

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि.366.—राष्ट्रपति , भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, प्रधान लिपिक समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2015 में संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, प्रधान लिपिक समूह 'ख' पद भर्ती संशोधन नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जल संसाधन मंत्रालय, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, प्रधान लिपिक समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2015 में,-

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2001

सा. का. नि. 449.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड सहायक भूभौतिकीविद भर्ती, नियम 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड सहायक भूभौतिकीविद भर्ती (संशोधन) नियम 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड सहायक भूभौतिकीविद भर्ती, नियम 1995 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
सहायक भूभौतिकीविद	19* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित अननुसचिवीय	7500-250-12000/—रु.

चयन सह ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
5	6	7
चयन-सह-ज्येष्ठता	नहीं	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक :— किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भूभौतिकी या अनुप्रयुक्त भूभौतिकी में मास्टर डिग्री। वांछनीय :— विशिष्टित. भूमिगत जल के संदर्भ में भूभौतिकी सर्वेक्षण के वास्तविक संचालन में तीन वर्ष का अनुभव, या भूभौतिकीय उपकरणों के इलैक्ट्रानिकी पहलुओं में तीन वर्ष का अनुसंधान/व्यावहारिक अनुभव और ऐसे उपकरणों की मरम्मत का अनुभव। टिप्पण :—1 अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण :—2 अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग/सक्षम प्राधिकारी/कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	नहीं	सीधी भर्ती वालों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जायेगा
11	12
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति :—ऐसा ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (भूभौतिकविद) जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण :—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के अधिक से अधिक आधे से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अपनी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

	12
	प्रतिनियुक्ति :— केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (2) जिन्होंने 6500-10500 रु० या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है; और (3) जिनके पास विशिष्टतः भूमिगत जल के संदर्भ में भूभौतिकी सर्वेक्षण कार्य के वास्तविक संचालन में अनुभव हो और स्तंभ 8 में सीधी भर्ती, वालों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं:— टिप्पण :—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति में सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह "ख" प्रोन्नति/पुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति :— 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —अध्यक्ष 2. सदस्य, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —सदस्य 3. उप सचिव (जी डब्ल्यू), जल संसाधन मंत्रालय —सदस्य	सीधी भर्ती, करने पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 21/11/99-जी डब्ल्यू —I]
सोहन सिंह सैनी, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत सरकार के राजपत्र भाग—II, खण्ड 3, उपखंड (i) में सा. का. नि. 385, दिनांक 19 अगस्त, 1995 को प्रकाशित किया गया।

New Delhi, the 26th July, 2001

G.S.R. 449—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Ground Water Board Assistant Geophysicist Recruitment Rules, 1995, namely :—

1. (i) These rules may be called the Central Ground Water Board Assistant Geophysicist Recruitment (Amendment) Rules, 2001.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Centrarl Ground Water Board Assistant Geophysicist Recruitment Rules, 1995, the following schedule shall be substituted namely:—

SCHEDULE

Name of Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether selection-cum-seniority or selection by merit	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Assistant Geophysicist	*19 (2001) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 7500–250–12000	Selection-cum-seniority	No.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates (except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential : Master's degree in Geophysics or Applied Geophysics from a recognised University or equivalent. Desirable : Three (3) years experience in the actual conduct of Geophysical survey work particularly with reference to Ground Water; OR Three (3) years research and/or practical experience in the Electronics aspects of Geophysical instrumentation and repairs of such instruments. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or	No	Two years for direct recruits*

8
the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the post(s) reserved for them.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
11	12
Promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.	Promotion : Senior Technical Assistant (Geophysicist) with three years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. Deputation : Officers under the Central Government— (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with three (3) years regular service in posts in the scale of Rs. 6500—10500 or equivalent; and (b) having experience in the actual conduct of Geophysical Survey work particularly with reference to Ground Water and possessing educational qualifications prescribed for direct recruits in Column 8. Note 1 : Departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Commission exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion/confirmation :— (i) Chairman, Central Ground Water Board —Chairman (ii) Member, Central Ground Water Board —Member (iii) Deputy Secretary (GW), Ministry of Water Resources —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment

[F. No. 21/11/99–GW.1]

SOHAN S. SAINI, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part–II, Section 3, Sub-Section (i) vide number GSR 385 dated 19th August, 1995.

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2001

सा.का.नि 450.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, नक्शानवीस श्रेणी-I, श्रेणी-II और श्रेणी-III भर्ती नियम, 1992 को संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड नक्शानवीस श्रेणी-I, श्रेणी-II और श्रेणी-III भर्ती नियम (संशोधन) नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, नक्शानवीस श्रेणी-I, श्रेणी-II और श्रेणी-III भर्ती नियम, 1992 की अनुसूची में नक्शानवीस श्रेणी-III पद से सम्बन्धित क्रम संख्यांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जायेंगी अर्थात् —

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
3. नक्शानवीस श्रेणी-III	20* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	4000-100-6000 रु.